दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

54

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3427
Dated 23/5/12

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Sanjeev Kumar Kakar
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	दुकानदार Shopkeeper
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9810646560
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	
पता : Address :	My STORES SHOP. A-5/30 D.D.A. Market Paschim Vihar-63.
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	22/5/12

322

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

(5)

Help (Open House 2021) 22/5/2022

Complain :- मू- मालिकों के द्वारा D.D.A. से लम्बे क्यों- D.D.A. के अनुसार जानबूझकर गोरी रियत लेकर अपनी जमीनों पर कब्जे करवाते हैं क्यों-

Sir/madam (मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखे मू- मालिकों से खतरा है-)

(1) ए-5- D.D.A. मार्केट पश्चिम विहार-63. के साथ खरबूजा अपना की D.D.A. जमीन पर से तोड़ संगल चारदिवारी तोड़कर गैरकानूनी ढंग से मू- मालिकों ने अवैध सब्जी मंडी बनवा ली। 24/11/1993; 25/8/1997, 11/7/1997, 15/10/1997, 20/11/1997, 18/8/1998, 28/12/1998. तक संगल चारदिवारी लगी है बार गोरी रियत देकर मू-मालिकों ने क्या कैसे किस-2- को 1984 से अगर (28) साल तक Duty भी लगी D.D.A. अनुसार निलंबित करो. डोल मेरे जानकारी न हो तभी सख्ती से अधिकार खत्म होगा. यहां (80) No की G.D.H.S. डिसपेंसरी बनती है. तुरन्त G.D.H.S. डिसपेंसरी तेजी से सख्ती से बनाई जाए.

(2) पूरी दिल्ली की D.D.A. मार्केट के अन्दर यारे तरफ से रेड़ी पटरी, अतिक्रमण सख्ती से हटाया जाये.

(3) जिन दुकानदारों ने अवैध शटर लगा रखा है वह D.D.A. की दुकान तोड़कर अपना बनवाया बनाया है दुकान रूकने

(4) D.D.A. Complaint गोपनीय नहीं रखता सारी Original Complaints मू- मालिकों के पास है क्यों— बताओ.

Ph= 9810646560.

My store. Sanjeev Kumar K/K Vihar.
SHOP No = 30, ए-5. D.D.A. Market Paschim Vihar. New Delhi-63.

(6)

बिना नोटिस दिए हटाओ अवैध कब्जे : हाई कोर्ट

वरिष्ठ संवाददाता ॥ हाई कोर्ट

पब्लिक लैंड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी ने सड़क, पब्लिक लैंड या पब्लिक वे पर कब्जा कर रखा है तो उसे हटाने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट की डबल बेंच ने विष्णु गार्डन इलाके में सड़क से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश जारी किया था। लेकिन लोगों के विरोध के कारण एमसीडी कब्जा नहीं हटवा पाई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद एमसीडी अवैध कब्जा नहीं हटा पा रही है।

जस्टिस शिव नारायण ढींगड़ा ने अपने आदेश में कहा कि पब्लिक लैंड पर अवैध कब्जा जमाने वाले की कोई भी सुनवाई का मतलब नहीं है। अदालत ने कहा कि एमसीडी को पूरा अधिकार है कि वह अवैध कब्जे को खाली कराए। कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी को कोई ऐतराज है तो उसे अपने दावे के पक्ष में टाइटल डीड दिखानी होगी। विष्णु गार्डन इलाके में स्थित नजफगढ़ रोड पर अवैध कब्जे के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने एमसीडी को निर्देश दिया था कि वह अवैध कब्जे को खाली कराए। एमसीडी ने जब सड़क खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू की तो वहां अवैध कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि कब्जा हटाने से पहले एमसीडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। इसके बाद एमसीडी ने काम रोक दिया। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट जस्टिस शिव नारायण ढींगड़ा की सिंगल बेंच के सामने याचिका दायर कर कहा कि अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं की जा रही। कोर्ट ने कहा कि वह उन लोगों की ओर से पेश की गई किसी भी दलील पर सुनवाई नहीं करेगा, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है और उनके प जमीन होने से संबंधित कोई टाइटल नहीं है। कोर्ट ने अपने ने में एमसीडी से कहा है कि वह 45 दिनों के भीतर अपनी पूरी करे और अवैध कब्ज खाली कराने के बाद सड़क के आवाजाही से संबंधित फोटो अदालत में पेश करे।

> अगर किसी ने सड़क, पब्लिक लैंड या पब्लिक वे पर कब्जा कर रखा है तो उसे हटाने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। कोर्ट उन लोगों की ओर से पेश की गई किसी भी दलील पर सुनवाई नहीं करेगा, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है।
>
> -हाई कोर्ट

'कानून तोड़ने वालों को रोकना जरूरी'

वस ॥ हाई कोर्ट : दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वह आदर्श नगर इलाके में हुए अवैध निर्माण को हटाए। हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाए जाने से ही 80 फुट की सड़क बनाई जा सकेगी।

जस्टिस विक्रमजीत सेन की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग इस तरह से जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, अगर उन्हें नहीं रोका गया तो यह संदेश जाएगा कि जो लोग कानून का पालन करते हैं वह वास्तव में ठगे जाते हैं, जबकि कानून का पालन न करने वाले ही खुश रहते हैं। यह जरूरी है कि जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। ऐसे लोगों को इस बात के लिए बाध्य करना होगा कि वह कानून का पालन करने वालों का सम्मान करें। हाई कोर्ट ने आदर्श नगर थाने के एसएचओ से कहा है कि वह उन एमसीडी के अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था करे जो कोर्ट के आदेश से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। मजलिस पार्क के वेलफेयर असोसिएशन ने इस बाबत हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि एमसीडी को निर्देश दिया जाना चाहिए वह इलाके में रहने वाले लोगों को प्लान के हिसाब से 80 फुट रोड की व्यवस्था करे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इलाके में अवैध कब्जा है और इस कारण जहांगीर पुरी, आदर्श नगर, मजलिस पार्क आदि इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने एसडीएम को निर्देश दिया था कि वह एमसीडी अधिकारियों के साथ मौके पर जाएं और अपनी रिपोर्ट पेश करें। मॉडल टाउन के एसडीएम ने कहा कि मजलिस पार्क कॉलोनी को एमसीडी ने 1960 में रेगुलर किया था। एमसीडी प्लान के मुताबिक जो नक्शा है, उसके हिसाब से स्कूल, पार्क से लेकर 80 फुट की सड़क थी। कुछ लोगों ने पार्क और सड़क की जगह पर कब्जा किया हुआ है। इस कारण सड़क नहीं बन पा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्लान के हिसाब से जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए। हाई कोर्ट ने आदर्श नगर थाने के एसएचओ को निर्देश दिया है कि वह एमसीडी अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान सुरक्षा प्रदान करे। अदालत ने अवैध कब्जा को एक फरवरी तक खाली करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की है।

16/5/12 - श्री पाण्डे द्वा. जी. निदेशक. (योजना) D-DA जोन C-8 U. पंचा दल - विकास मीनार आई. पी. एस्टेट - N-D-2. 23370022

23/5/2012 Sulekh Visitor=54. 9810666580 (ii)

अतिरिक्त मेजी - न डाबाव न कार्यवाही डाबाक कहा यह ? ?

3410P

2394/971 Gen

सेवा में, 1/2/2011 उपराज्यपाल जी राजनिवास नई दिल्ली-54

22/5/2012

विषय: भू - माफियो के हाथ कानून से लम्बे क्यो ?

महोदय/महोदया,

Confidential

डी.डी.ए. जमीन घोटाला भ्रष्टाचार भू-माफियो से सम्बन्धित कम्पलेन्टस ।

1. ए-5/डी.डी.ए. मार्किट, पश्चिम विहार - नई दिल्ली-63 चौधरी बलबीर सिंह मार्ग, वैस्ट जोन वार्ड न0 58, ए-6, महावीर संस्कृत विश्व विद्यापीठ के सामने 80 न0 की केन्द्र सरकार की सी.जी.एच.एस. डिस्पैन्सरी जमीन पर 1985 से 2011 तक भू-माफियो ने कब्जा करके अवैध सब्जी मन्डी बना रखी है क्यो, कैसे, किस-किस की मिली भगत से । विधायक पार्षद, सांसद वह पूरी सरकारी मशीनरी गूंगी बहरी अंधी नपुसंक बन गई । यहां पर गुण्डा राज, जंगल राज, सरकारी मशीनरी मुफ्त की पेय ले रही है । काम नहीं करना है । भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार । विकास बिल्कुल नहीं । मास्टर प्लान का भारी उल्लघंन । केन्द्र सरकार, दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया से प्रार्थना है कि तुरन्त इस जमीन घोटाले का पर्दाफाश करे तुरन्त दोषियो को दंड दें । भाजपा कांग्रेस मिलकर अन्य पार्टिया मिलकर भू-माफिया को सरजंग देते रहे । अब सभी रावण बन चुके है । इस सूचना का अधिकार भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ गया है । ये कानून भी इन भू-माफियो का सफाया न कर सका । क्यो, जवाब दें । तुरन्त.

2. 6 नवम्बर 1991 जलाकर भस्म हुई पर रातो - रात भू-माफियो ने अवैध सब्जी मन्डी क्यो, कैसे बना ली । जवाब दें । दिल्ली केन्द्र सरकार ।

3. 24 नवम्बर 1993 मन्डी हटी, पर रातो-रात भारी रिश्वत देकर क्यो, कैसे बन गई अवैध सब्जल मन्डी । केन्द्र दिल्ली सरकार जवाब दें । शीघ्र.

4. 29 मार्च 1997 मन्डी हटी पर रातो - रात रिश्वत देक र मन्डी क्यो कैसे बनी जवाब दें केन्द्र दिल्ली सरकार । भू-माफियो के हाथ कानून से लम्बे क्यो । राजनीति का अपराधिकरण भ्रष्टाचार रोके.

5. 11. जुलाई 1997 मन्डी हटी पर रातो-रात रिश्वत देकर मन्डी क्यो, कैसे बन गई जवाद दें , केन्द्र दिल्ली सरकार । अवैध निर्माण रोके.

6. 15 अक्टूबर 1997 मन्डी हटी, तारे एंगल लगे पर 28 अक्टूबर 1997

....2/-

तारे एंगल तोडकर रातो रात अवैध सब्जी मन्डी बनी, जवाब दे, केन्द्र दिल्ली सरकार । आर-2- Reminder कर्मो, समाधान नहीं.

7. 27 नवम्बर 1997 दिल्ली सतकर्ता विभाग डी.डी.ए. एम.सी.डी. ए.सी.पी. डी.सी.पी. भारी पुलिस, बी.एसएफ और सी.आर.पी. आई पर कुछ न किया । नाटक किया मन्डी हटाई, तुरन्त फोटो खीची भारी रिश्वत देकर भू-माफियो ने रातो-रात अवैध सब्जी मन्डी बना दी । क्यो, कैसे ।

8. 19 मार्च 1998 मन्डी हटी तारे एंगल लगे पर 9 अप्रैल 1998 तारे एंगल तोडकर भूमफियो ने गैर कानूनी ढंग से अवैध सब्जी मन्डी बना ली । क्यो और कैसे

9. 28 दिसम्बर 1998 मन्डी हटी, चारदिवारी लगी पर 12 जनवरी 1999, भू-माफियो ने चारदिवारी तोडकर भारी रिश्वत देकर रातो-रात गैर कानूनी ढंग से अवैध सब्जल मन्डी बना ली । क्यो, कैसे किस-किस की मिलीभगत से । जवाब दे, केन्द्र दिल्ली सरकार की कानून से लम्बे हाथ भू-माफियो के क्यो । सरेआम शराब पीते है । लडकियो, महिलओ के सामने और बच्चो के सामने गन्दी-गन्दी माँ बहन की गालियाँ देते है । गुण्डा राज, जंगल राज क्यों ।

10. मीडिया से प्रार्थना है कि सभी चैनल मिलकर एक साथ भू-माफियो पर हमला करें । पूरी वीडियो रील अवैध सब्जी मन्डी की बनाकर टी.वी. पर तब तक दिखाते रहे जबतक इन भू-माफियो का सफाया न हो जाये । राजनीति का अपराधीकरण, डी.डी.ए. जमीन घोटाला भ्रष्टाचार, यह पाप की नगरी सोने की लंका कौरव सेना इस रावण राज का अन्त न हो जाये । तब तक मीडिया दिखाते रहे । तुरन्त केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि इस अवैध सब्जी मन्डी को हटाकर तुरन्त यहां सी.एच.एस. की डिसपैन्सरी बनाई जाये । तुरन्त यहां धारा - 144 लगाई जाये । इन सब्जीवालो ने पूरी ए-5 मार्किट के दुकानदारो को धमकी दे रखी है कि हमारे खिलाफ किसी ने भी अवाज उठाई या हमारी कम्पलेन्ट की तो उसे दुकान से बाहर निकालकर मारा-पीटा जायेगा ।

Mystores. Shop No=30, A-5. D.D.A Market Paschim Vihar N.D-63.

भेजने वाले :- ए-5/B, B-1, B-2, B-3.

ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, पश्चिम विहार की दुखी जनता ।

27/5/2012 visitor=54.

(10) Market Paschim Vihar N.D-63. Sulekha

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
OFFICE OF THE DIRECTOR(MM)
B2B BLOCK, JANAK PURI, NEW DELHI-110058

No.F.3(147)09/RTI/Dir. (MM)/ 48 D.D.A.

Dated: 8-1-2010

To:

Confidential

Sh. Sanjeev Kumar Kakra,
Shop No.30, A-5, DDA Market,
Paschim Vihar, New Delhi 9810646560.
25276246.

Sub: Information under RTI Act 2005

Kindly refer to your application dated 16.09.09 received in this office on 17.12.09 through SE(HQ)DWK on the subject noted above. In this connection, as per report submitted by Ex. Engineer, WD-7, it is intimated that the CGHS land has been handed over to CGHS by Dy. Director(Instl.)DDA. However, the matter is being referred to Commr.(LM) and Dy. Director (IL) for taking further necessary action.

मुझे मेरी पहचान सार्वजनिक रखें।

8/1/10

(ER. VIRENDER BHATIA)
DIRECTOR (MM)

Copy to: -

1. Commr.(LM)DDA alongwith the copy of RTI application of Sh.Sanjeev Kumar Kakra and copy of letter No.1198 dated 13.04.07 issued by CE(SWZ) to Dy. Director (Vig.) for necessary action please
2. SE(HQ)DWK w.r.t. your letter No.4891 dated 16.12.09 for information.
3. Director (IL) alongwith copy of RTI application of Sh. Sanjeev Kumar Kakra. for necessary action. 25276246.
4. Ex. Engineer, WD-7 w.r.t. his report dated 26.12.09

22/5/2012
Sulekha
visitor=54.

DIRECTOR (MM)

(V)

सत्यमेव जयते

Reminder o. Help.

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
A, BLOCK, 1st FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI – 110002

Confidential 23370258 Fax

N0: F./SC/Admn./2002/ कार्य **Dated:** 7/9/-, 2007

To,

The Public Information Officer,
C-1, Vikas Sadan, DDA,
INA, New Delhi.

Sub: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to forward herewith a letter dated 25.04.2007 on 23.8.2007 with its enclosures (In original) received from Sh. Sanjeev Kumar Kakra, on the subjected noted above. Necessary ~~fees has~~ been received by this office vide receipt No.08 dated 23.08.2007 for Rs.10/- (Rs. ten) only.

Since the letter relates to unauthorized Subzi Mandi at DDA land the request as such is being forwarded to you for further immediate action within stimulated period.

मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें।

Yours faithfully,

(Y.P. TALWAR)
REGISTRAR

N0: F./SC/Admn./2002/ 7588 **Dated:** 7/9/07, 2007

Copy to:-

Ph. 25276246 A copy is forwarded to Sh. Sanjeev Kumar Kakra, Shop No.30, A-5, DDA Market Paschim Vihar, New Delhi-110063.

(Y.P. TALWAR) 6/9/2007
REGISTRAR

22/5/2008

SANJEEV KUMAR KAKRA

(vi)

CHUH 66667777 0

F.No.11-68/CGHS/Gr.Cell/2010 506-07

Government of India

Office of the Additional Director (HQ)

9, Bikaner House Hutments,

Shahjahan Road, New Delhi-1.

Help.

CUHS

Confidential

Dated: 22.2.2010

Reference is invited to the RTI application dated 12.5.2009 of Sh. Sanjeev Kumar Kakra received in this office on 19.2.2010 under RTI Act, 2005.

The application is transferred under Section 6(3) of RTI Act, 2005 for providing information directly to the applicant, under intimation to this office.

This may please be treated as Most Urgent being a RTI matter.

(Dr.B.Badarinarayana)
Nodal Officer,RTI,CGHS(HQ)
Ph.No.23070525

Encl: as above.

To:- मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें।-

1. Joint Director (HQ), 9, Bikaner House Hutments, Shahjahan Road, New Delhi. 1.

Copy for information to:- Contact 25276246.

1. Sh. Sanjeev Kumar Kakra, Shop No. 30, A-5, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi-110063. The 1st appellate authority is Additional Director (HQ), CGHS (HQ), 9, Bikaner House Hutments, Shahjahan Road, New Delhi.

22/5/2012

visitor = 54.

(viii)

"सत्यमेव जयते"

Help 00 Reminder.

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
A, BLOCK, 1st FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI – 110002

Confidential

23370258 / 7

NO: F. 1(203)/SC/Admn./2000/Pt.-III/ Dated: 10/12/2007.–

To,

The Director,
DDA, C-1, Vikas Sadan,
INA, New Delhi.

Sub: Complaint of unauthorized encroachment on Government Land.

Sir,

I am directed to forward herewith complaint received from Sh. Sanjeev Kumar Kakra, with the request that necessary action be taken at your end please. मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें।

Yours faithfully,

No:- F/SC/Admn./2002/7589/7-9-2007.

Registrar
State Commission

NO: F. 1(203)/SC/Admn./2000/Pt.-III/10221 Dated: 10/12/, 2007.

Copy to:- 8873- 20-10-2007.
7588- 7-9-2007.

1. Sh. Sanjeev Kumar, Kakra, Shop No.30, A-5, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi-110063 .

23370258

Registrar 10/12/07
State Commission

27/5/2012
Visitor=54

सत्यमेव जयते.

Help. Reminder

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
Director (Public Relations & Public Grievances)
Room No. B-19, 'B' Block, Vikas Sadan,
NEW DELHI-110023.
Tele: 24626248

Confidential

D.D.A.

Urgent & Time Bound
(Information Under RTI Act-2005)

No. F3(52)/2007/DPR/DDA/ 93

25th April 2007

Sub: Information Under RTI Act-2005

Please refer to this office letter No F3(52)/2006/DPR/DDA/207 dated 11-9-2006.

An application under RTI Act-2005 received from Addl. Registrar (Admn.) & CPIO Supreme Court of India in respect of Sh. Sanjeev Kumar Kakra of Paschim Vihar, New Delhi was forwarded to you vide our letter under reference. The subject matter of the complaint pertained to illegal vegetable shops on CGHS Plot in Block A-5, Paschim Vihar, New Delhi.

You are requested to intimate the disposal of the said application and also forward a copy of your reply to the applicant for our record.

My Stores, Cosmetic & General
Confectionery Stores, Shop No. 30
A-5-D.D.A. Market Paschim Vihar,
N. Delhi-63 ✆ 25276246
SANJEEV KUMAR KAKRA

Neemo Dhar
(Neemo Dhar)
Director (PR & PG)

Sh. R. M. Lal, Dir. (Building),
C-1, Vikas Sadan,
INA,
New Delhi-110023.

U.A.C.

मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें।

CC:-

SH. SANJEEV KUMAR KAKRA,
C/O MY STORES,
SHOP NO. 30, A-5, DDA MARKET,
PASCHIM VIHAR,
NEW DELHI-110063

: For information with reference to your letter dated 19-4-07 received in this office on 24-4-07.

22/5/2007
Sanjeev
Visitor-54.

1X

सत्यमेव जयते

Remender

Help

MOST URGENT
RTI CASE

Confidential

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(PIO/VIGILANCE BRACH)
D.D.A.

No.L2339/Dir.(V)/07/RTI/144/ 11452 Date: 19/7/07

To

Shri O.P. Mishra,
OSD(LM), DDA,
New Delhi.

Sub : Information under RTI Act, 2005.

8/11/2020- 93465-

Enclosed please find herewith complaint dt. 10.7.07 received from Shri Sanjeev Kumar Kakra in original regarding encroachment on DDA land for appropriate action.

9810646560

Encl : As above.

(ALOK SWARUP)
PIO/DIRECTOR(VIG.)

मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें

Copy for information to:

1. Shri Sanjeev Kumar Kakra, C/O My Stores, Cosmetic & General Confectionary Stores, Shop No. 30, A-5, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi - 110 063. Ph-25276246.

PIO/DIRECTOR(VIG.)

95793
CVC
10-11-10

CVC
97459-
15-11-2020

27/5/2022
visitor =54.

सत्यमेव जयते

Help

RTI Act, 2005 Matter

DO Reminder

Dy. No.109/RTI Act/2006-DDIIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Confidential

M.U.D.

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 26.4.2007

To

Shri Sanjeev Kumar Kakra,
Shop No. 30,
A-5, DDA Market,
Paschim Vihar,
New Delhi-110063.

My Sister, Cosmetic & General
Confectionery Sister Shop No. 30
A-5-D.D.A. Market Paschim Vihar,
N. Delhi-63 ✆ 25276246
SANJEEV KUMAR KAKRA

Sub: Application under the Right to Information Act, 2005 – regarding unauthorized encroachment on Government land.

Sir,

Please refer to your letter post-card dated 19.4.2007 seeking reply in respect of your application dated 1.6.2006 as to how subzi mandi has come up unauthorizedly again and again on DDA land adjacent to A-5, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi.

2. In this connection, it is informed that we have already sent a reply to you vide letter of even number dated 19.6.2006, a copy of which is enclosed.

मुझे मेरी पहचान गोपनीय रखें।

Yours faithfully,

Encl: as above.

(N. L. Upadhyay)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 2306 1478

22/5/2007
SK Kakra
VISI for =54.

(xi)

Help सत्यमेव जयते Reminder.

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION
A, BLOCK, 1st FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE,
NEW DELHI – 110002

Confidential

N0: F. 1(203)/SC/Admn./2000/Pt.-III/ **Dated: 20/X/2007.**

To,

The Director,
DDA, C-1, Vikas Sadan,
INA, New Delhi.

Sub: Complaint of unauthorized encroachment on Government Land.

Sir,

I am directed to forward herewith a complaint received from Sh. Sanjeev Kumar Kakra, with the request that necessary action be taken at your end please.

कृपया मेरी पहचान गोपनीय रखें।

Yours faithfully,

Registrar
State Commission

N0: F. 1(203)/SC/Admn./2000/Pt.-III/8873 **Dated: 20/XI/2007.**

Copy to:-

1. Sh. Sanjeev Kumar, Kakra, Shop No.30, A-5, DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi-110063. 25276246.

Registrar
State Commission

27/5/2012
visitor=54.

(xii)

OFFICE OF THE CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER -CUM-ADDL. DY. COMMISSIONER OF POLICE-I: WEST DISTT 1ST FLOOR P.S. RAJOURI GARDEN: DELHI.

Appellate Authority	-	Dy. Commissioner of Police, West District, P.S.Rajouri Garden, New Delhi.
Period of Appeal	-	Within 30 days.

No. 1940 /(592/11)/DIC(DAII)/West, dated Delhi, the 28/03/2011.

To

Sh. Sanjeev Kumar Kakra,
C/o My Stores, Shop No. 30, A-5,
DDA Market, PAschim Vihar,
New Delhi 110063. 9810646560 - Contact

Sub:- Application under the "Right to Information Act-2005".

******

Please refer to your application dated 01.03.11 received from APIO/PHQ New Delhi letter's dated 08.03.2011 and diarized vide this office Dy. No.2894/DIC/W, dated 10.03.2011, on the subject cited above. I am to inform you that as per the record/report of SHO/Paschim Vihar received through ACP/Sub-Division Punjabi Bagh/ West Distt., there is a vacant land near A-5 Block DDA Market, Paschim Vihar, which is occupied by vegetables/fruit vendors by putting their stalls there. These vendors were removed many time by DDA but they are running their vegitables/fruit market at the alleged vacant place. The land in question relates to DDA and was allotted to CGHS for build-up of dispensary for the area. The action is required to be taken by concerned land owing agency. Although DDA was intimated to remove the fruit/vegetables venders vide letter No.1820/SHO/Paschim Vihar, dated 11.06.2010. No action is called for at PS Level. Whenever the concerned land owing agency will demand for police protection, the same will be provided from this end.

22/5/2011
Sullu
vide for =54.

(RISHI PAL)
Central Public Information Officer-cum-
Addl. Dy. Commissioner of Police-I,
West District, New Delhi.

(xiii)

Government of India
Cabinet Secretariat
(Directorate of Public Grievances)
2nd Floor, Sardar Patel Bhawan
Sansad Marg, New Delhi - 110001
(Website: http://dpg.gov.in)

Help "सत्यमेव जयते" Reminder.
D.U.P.
Confidential

5/10/2007

To MY STORES.
SANJEEV KUMAR KAKRA
SHOP NO. 30
A-5 DDA MARKET
PASCHIM VIHAR NEW DELHI, Delhi
110063. ~~Ph 25276240.~~
9810646560.

Ref. No. DPG/U/2002/00030(3)(DDA)

DPU/T/53122(2)
DPU = 595451/2

Dear Sir,

Your Reminder Dated 1/10/2007 has been received by us. As intimated earlier your representation was forwarded to :

Secretary
Min. of Urban Development
Nirman Bhawan
New Delhi

for examination and reply directly to you. The Ministry/Department/Organisation is being reminded in the matter. Further correspondence may please be addressed directly to the above-mentioned.

मुझे मेरी दरख्वास्त वापस रखें।

Yours faithfully,

(M.P.Sajeevan)
Under Secretary
Tel. : 011-23363733
Email : sajee-mp@nic.in

27/5/2012
Bhalla
visitor = 54.

(XIV)